न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2016/00295 (323/2016) **दायरा दिनांक : 14.09.2016**

उनवान

जानकीलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री नाथूलाल, जाति जाट, निवासी बडौदिया, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री रामप्रसाद, जाति मीना
2. प्रहलाद पुत्र श्री रामप्रसाद, जाति मीना
3. मुरारी पुत्र श्री रामप्रसाद, जाति मीना
4. धापू पुत्री श्री रामप्रसाद, जाति मीना
5. कौशल्या पुत्री श्री रामप्रसाद, जाति मीना
6. गीता पुत्री श्री रामप्रसाद, जाति मीना, निवासीगण बडौदिया, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
7. भैरया पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति तेली
8. मिश्रीलाल पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति तेली
9. मांगीलाल पुत्र श्री भैरूलाल, जाति धाकड
10. रामकिशन पुत्र श्री प्रभू, जाति मीना
11. जमनालाल पुत्र श्री हरनारायण, जाति धाकड
12. गोरधन पुत्र श्री हरनारायण, जाति धाकड
13. भीमराज पुत्र श्री हरनारायण, जाति धाकड
14. गुलाबबाई बेवा श्री हरनारायण, जाति धाकड
15. मथुरालाल पुत्र श्री भवानीशंकर, जाति धाकड
16. गंगाबिशन पुत्र श्री धूल्या, जाति नाथ, निवासीगण बडौदिया, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
17. जानकीबाई पत्नी रमेशचन्द, जाति धाकड, निवासी कुन्जेड, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
18. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार नन्दवाना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 09.07.2025**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या 128/2014 निर्णय दिनांक 18.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बडौदिया, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0) में खसरा नं. 10/1 रकबा 3 बीघा, खसरा नं. 63 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 191 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 195 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 197 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा कृषि आराजीयात मुताबिक जमाबंदी संवत 2070 से 2073 वादी के तन्हा खातेदारी में दर्ज होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय दिनांक 18:06.2016 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट के कब्जे, स्वामित्व व खाते की आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा कृषि आराजियात मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 अपीलांट के तन्हा खातेदारी दर्ज होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांट के खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त कृषि आराजियात पर आने जाने एवं कृषि यंत्र ट्रेक्टर ट्रोली इत्यादि लाने ले जाने का वर्षों पुराना रास्ता मुख्य सडक से खसरा नं. 70, खसरा नं. 71, खसरा नं. 69, खसरा नं. 66, खसरा नं. 65 एवं खसरा नं. 55 वाके माल बडौदिया, तहसील छबडा में अवस्थित प्रतिवादी कम 1 ता 17 के कब्जे काश्त व खाते की है, ने अपीलांट की उपरोक्त कृषि आराजियात को अनुपयोगी बनाने एवं अपीलांट की उसकी उक्त कृषि आराजियात के उपयोग व उपभोग से वंचित करने के आशय से अपीलांट का उक्त वर्षों पुराना अवस्थित रास्ता पूर्णतया बंद कर दिया है। जिसके कारण अपीलांट उक्त आराजियात पर आने जाने एवं फसल करने से वंचित हो गया है। अपीलांट की उपरोक्त कृषि आराजियात पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का एक मात्र उपरोक्त वर्णित रास्ता रेस्पोडेंट कमांक 1 ता 17 की कृषि आराजियात में होकर ही था जिसे रेस्पोडेंट कमांक 1 ता 17 द्वारा पूर्ण रूप से बंद कर देने से अपीलांट अपने खातेदारी की उपरोक्त कृषि आराजियात में फसल काश्त करने व उसका उपयोग व उपभोग करने से पूर्णतया वंचित हो चुका है। इसलिये उक्त रास्ते को मुख्य सडक से रेस्पोडेंट कमांक 1 ता 17 की उपरोक्त वर्णित आराजियात में से पुनः खुलासा कराया जाकर उसे 7 फुट के स्थान पर 20 फुट तक चौडाई में विस्तारित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। ताकि अपीलांट अपने समस्त कृषि यंत्र इत्यादि सुगमता पूर्वक अपनी उपरोक्त आराजियात पर ला ले जा सके। अपीलांट द्वारा अपनी आराजियात पर आने जाने का

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रास्ता खुलासा किये जानें की रेस्पोडेंट क्रमांक 1 ता 17 से कहा गया तो सभी रेस्पोडेंट द्वारा रास्ता खुलासा करने की स्पष्ट मना कर दी गई। उसके बाद अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायायलय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के यहां पर अन्तर्गत धारा 251–क के अन्तर्गत वाद दायर किया गया जो विचाराधीन था। लेकिन रेस्पोडेंट ने राजस्व कर्मचारियों व पटवारी हल्का की मिली भगत से बिना किसी पूर्ण सुनवाई किये बगैर ही न्याय आपके द्वार कार्यक्रम/शिविर में दिनांक 18.06.2016 को बिना किसी नोटिस के अपीलांट को खारिज फरमा दिया गया है जो न्याय के भौतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से निरस्तनीय है। लोक अदालत में अपीलांट को तलब किये बगैर ही निर्णय पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई है जो निरस्तनीय है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवायी का पूर्ण अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किये जाने में भारी कानूनी त्रुटि कायम की गयी है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.06.2016 को अपास्त कर अपीलांट के कब्जे, स्वामित्व व खाते की आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा पर आने जाने वाले वर्षो पुराने रास्ते मुख्य सडक से खसरा नं. 70, खसरा नं. 71, खसरा नं. 69, खसरा नं. 66, खसरा नं. 65 एवं खसरा नं. 55 वाके माल बडौदिया, तहसील छबडा में अवस्थित प्रतिवादी क्रम 1 ता 17 के कब्जे काश्त व खाते की है, रास्ते को मुख्य सडक से उपरोक्त वर्णित आराजियात में से पुनः रास्ता 20 फुट तक चौडाई में विस्तारित किया जाकर खुलासा कराया जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण सुनवाई करने के लिये दिये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.08.2016 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि अपीलांट के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 251–क एवं 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलांट के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी कुल किता 5, कुल रकबा 14 बीघा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

16 बिस्वा ग्राम बडोदिया तह० छबडा जिला बारां–राज० में चली आ रही है। अपीलांट के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर आने जाने एवं कृषि यंत्र ट्रैक्टर ट्राली आदि लाने ले जाने में वर्षों पुराना रास्ता मुख्य सडक से खसरा नं. 71, 66, 69, 65, 55, रेस्पोडेंट सख्या 1 लगायत 17 के खातेदारी की आराजी में होकर जाता है जिसको रेस्पोडेंट द्वारा पूर्णतया बन्द कर दिया गया इस कारण उक्त आराजी पर आने जाने एवं फसल काटने एवं काश्त करने से अपीलांट वंचित हो गया।

अपीलांट ने उक्त रास्ते को पुनः खुलासा करवाये जाने के लिये 7 फीट के स्थान पर 20 फीट तक की चौडाई करने या नया रास्ता कायम करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अनुतोष चाहा गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर ही उक्त वाद को लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में 18.06.2016 को बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही, वाद को निस्तारित कर दिया गया ,तथा अपीलांट को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया इस कारण उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण एवं लोक अदालत के नियम एवं कायदों की अनदेखी करते हुये उक्त निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट द्वारा अपने जवाबदावे में जो उल्लेख किया है कि पूर्व में वहां पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं था तथा पैरा संख्या 7 जवाबदावे में स्पष्ट लिखा है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई 7 फीट का रास्ता मौजूद नहीं है। इस प्रकार अपीलांट को रास्ते की आवश्यकता होने के कारण अपीलांट उक्त रास्ते की जमीन के लिये डी.एल.सी. दर की दोगुना देने के लिये तत्पर है तथा हल्का पटवारी एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 17.03.2015 एवं 10.04.2015 में बिन्दु संख्या 1 व 2 में स्पष्ट लिखा है कि खातेदार को रास्ते की आवश्यकता है एवं जोत में पहुंचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव है। उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद वादी की गैर मौजूदगी में न्याय आपके द्वार शिविर में खारिज फरमा दिया गया ,जो कि त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपीलांट लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि अपीलांट को रेस्पोडेंट की आराजी में से 20 फीट का रास्ता दिया जाना आवश्यक है एवं नवीन रास्ता कायम करते हुये अपीलांट को वैकल्पिक मार्ग का अभाव होने के कारण डी.एल. सी. दर की दुगुनी राशि जमा किया जाकर अपीलांट को नया रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट जानकीलाल द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि ग्राम बडौदिया, तहसील छबडा, जिला बारां में खसरा नं. 10/1 रकबा 3 बीघा, खसरा नं. 63 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 191 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 195 रकबा 04 बिस्वा व खसरा नं. 197 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त कृषि आराजियात पर आने जाने एवं कृषि यंत्र ट्रेक्टर, ट्रोली इत्यादि लाने ले जाने का वर्षों पुराना रास्ता मुख्य सडक से खसरा नं. 70, खसरा नं. 71, खसरा नं. 69, खसरा नं. 66, खसरा नं. 65 एवं खसरा नं. 55 वाके ग्राम बडौदिया, तहसील छबडा में अवस्थित प्रतिवादी 1 लगायत 17 के खातेदारी की कृषि आराजियात में होकर था जिसे करीब एक माह पूर्व प्रतिवादी क्रमांक 1 ता 17 ने वादी का उक्त वर्षों पुराना अवस्थित रास्ता पूर्णतया बंद कर दिया है जिससे कारण वादी उसकी उक्त आराजियात पर आने जाने एवं फसल काश्त करने से भी वंचित हो गया है। अतः उक्त रास्ते का खुलासा व विस्तारित किया जाकर उक्त रास्ते का रेखांकन जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में अंकन किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय में दौराने वाद अप्रार्थी कम 1 लगायत 17 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मौके पर किसी प्रकार 7 फीट का रास्ता नहीं है, जिसे 20 फीट का रास्ता कराने बाबत् प्रार्थना लेकर आया है। वादी के पास पूर्व से खाल में होकर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का रास्ता होने से प्रतिवादीगण की भूमियात में से किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण की आराजियात मुख्य रोड से लगवा होने के कारण मकानात भी बने हुए हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को नुकसान पंहुचाने की नियत से न्यायालय में वाद दायर किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय दिनांक 18.06.2016 से वादी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आदेश किया कि तहसीलदार छबडा की मौका रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नं. 63, 65 पर सरकारी भूमि खसरा नं. 43, 39, 45 वाके ग्राम बडौदिया में पूर्व से ही पुराना रास्ता बना हुआ है, जिसे प्रार्थी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जानकीलाल द्वारा उपयोग में लाया जाता है। प्रार्थी जानकीलाल द्वारा इस तथ्य को छुपाया है कि पुराना रास्ता से उसका पूर्व से ही आवागमन है। वक्त निरीक्षक मौका उभयपक्षकारान उपस्थित थे। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, साक्ष्य एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट आदि का अध्ययन बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.06.2016 व 18.06.2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प कोर्ट झरखेड़ी दिनांक 13.06.2016 एवं न्याय आपके द्वार 2016 फोलो अप कैम्प चाचोडा में किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी करना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। पत्रावली की आदेशिका पर भी पक्षकारान के उपस्थिति हस्ताक्षर अंकित नहीं होने से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की अनुपस्थिति में ही निर्णय पारित किया है। लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं। संदर्भित प्रकरण में पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपना पक्ष रखने एवं मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत के विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2016 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुए धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में पुनः नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.08.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा